दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06 अगस्त, 2024

निम्न मामले में:

आप.वि.वा. 4578/2024 और आप.वि.आ. 17241/2024

सैय्यद जमशेद अब्बास ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री शिवा जी शुक्ला और श्री नईमुद्दीन, अधिवक्तागण।

बनाम

ईज़ी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

निर्णय (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता ने सी.टी. मामला संख्या 4506/2019 में विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28.11.2019 के समन आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. संक्षेप में, वर्तमान याचिका के लिए तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मेसर्स इको स्काई टूर्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 2) और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, जो शिकायत में अभियुक्त संख्या 4 है और प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनी के निदेशक के रूप में दिखाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि शिकायतकर्ता कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, रेलवे आरक्षण, टिकटिंग होटल बुकिंग, यात्रा बीमा, पर्यटन, अवकाश पैकेज, साथ ही विभिन्न ट्रैवल एजेंटों के साथ-साथ व्यक्तियों को अन्य यात्रा और आतिथ्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। शिकायत में कहा गया है कि शिकायतकर्ता कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, रेलवे आरक्षण, टिकटिंग होटल बुकिंग, यात्रा बीमा, पर्यटन, हॉलिडे पैकेज, साथ ही विभिन्न ट्रैवल एजेंटों के साथ-साथ व्यक्तियों को अन्य यात्रा और आतिथ्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। शिकायत में आगे कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनी टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, यात्रा बीमा, पर्यटन, पैकेज आदि सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त कंपनी ने प्रत्यर्थी संख्या 1/शिकायतकर्ता कंपनी से संपर्क किया और उनके साथ काम करने की पेशकश की। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त कंपनी की

दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल है। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 एक संविदा में आए जिसमें यह सहमति हुई थी कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त कंपनी क्रेडिट आधारित सुविधा के बदले में शिकायतकर्ता कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने ग्राहकों की टिकटें बुक कर सकती है और प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त कंपनी को क्रेडिट प्राप्त करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर खाते का निपटान करना था। यह कहा गया है कि अभियुक्त कंपनी ने अपनी स्वीकृत देनदारी का निर्वहन करने के लिए एचडीएफसी बैंक को 2,00,000/- रुपये का चेक संख्या 000059 दिनांक 21.08.2019 जारी किया। यह कहा गया है कि उक्त चेक को इस पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया गया कि आहरणकर्ता के हस्ताक्षर भिन्न हैं। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त कंपनी को 05.09.2019 को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक नोटिस भेजा गया था और चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त कंपनी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए तत्काल शिकायत दर्ज की गई है। यहां याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 28.11.2019 को समन जारी किए गए है। यह वह आदेश है जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता मेसर्स इको स्काई ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है, न कि मेसर्स इको स्काई

टूर्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड का। उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा दायर दस्तावेजों का अवलोकन न्यायालय में किया, जिसमें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का मास्टर डाटा भी शामिल है, जिसमें शिकायतकर्ता ने मेसर्स इको स्काई टूर्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड का विवरण दिया है। इसलिए, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को समन भेजने के लिए आवश्यक दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समन आदेश उचित नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में अभियुक्त मेसर्स इको स्काई टूर्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिया गया प्रकथन विशिष्ट है तथा सुविधा की दृष्टि से उसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> *"4. यह कि अभियुक्त कंपनी अपनी निजी लिमिटेड कंपनी "इको स्काई टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड" से काम करते हुए टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, यात्रा बीमा, पर्यटन, पैकेज आदि की सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-52 एबी, प्रथम तल, कालकाजी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110017 में है, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी के मास्टर डेटा से स्पष्ट है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि बाजार में*

शिकायतकर्ता कंपनी की अच्छी प्रतिष्ठा और साख को देखते हुए, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता कंपनी से संपर्क किया और उसके साथ काम करने की पेशकश की। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त संख्या 4, अभियुक्त कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में संलग्न है। यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त संख्या 1 की ओर से अभियुक्त संख्या 4 द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

5. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में प्रस्तुत मास्टर डेटा मेसर्स इको स्काई ट्रैवल्स एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है और चेक मेसर्स इको स्काई टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है, इससे समन आदेश की अवहेलना नहीं होगी क्योंकि शिकायत में दिए गए प्रकथनों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने मेसर्स इको स्काई टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान याचिका में, यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता मेसर्स इको स्काई टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नहीं है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6. शीर्ष न्यायालय ने <u>एस.पी. मणि और मोहन डेयरी बनाम स्नेहलता एलंगोवन,</u> (2023) 10 एससीसी 685 में एनआई अधिनियम की धारा 138 और 141 का विश्लेषण किया है और प्रतिनिधिक दायित्व के निर्धारण की अवधारणा पर विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी की है।:

> *"42. इस प्रकार, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट कानूनी सिद्धांतों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता हैं:*
>
> *42.1 प्रतिनिधिक दायित्व उन लोगों पर लगाया जा सकता है जो कंपनी या फर्म के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं। धारा 141 के प्रयोजन के लिए, फर्म एक कंपनी के दायरे में आती है;*
>
> *42.2 शिकायत में धारा 141 की भाषा को शब्दशः पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है क्योंकि शिकायत को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना आवश्यक है;*
>
> ***42.3 यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों का सार धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो शिकायत को कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा।***
>
> ***42.4 किसी शिकायत की विवेचना करते समय उसे अभिखंडित करने के लिए अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।***
>
> *42.5 चेक बाउंसिंग को रोकने तथा वाणिज्यिक लेनदेन की विश्वसनीयता को बनाए रखने के प्रशंसनीय*

उद्देश्य के फलस्वरूप क्रमशः धारा 138 तथा 141 को अधिनियमित किया गया, जिसे संबंधित न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए।

42.6 ये प्रावधान बेईमानी की वैधानिक उपधारणा बनाते हैं, जिसके तहत यदि नोटिस जारी होने के बाद भी वैधानिक अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ सकता है।

42.7 अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए और जहां ,समग्र रूप से पढ़ा जाए तो, शिकायत में अपराध का तथ्यात्मक आधार रखा गया है, उसे अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए।

42.8 यदि शिकायत में कही गई सभी बातें सही हैं और इसमें लगाए गए आरोपों की शिकायतकर्ता के पक्ष में उदारतापूर्वक व्याख्या की जाए, तो अपराध के तत्वों का पूरी तरह से अभाव पाए जाने पर संबंधित न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त को बरी कर दे।

(ज़ोर दिया गया)

7. इस बात के स्पष्ट प्रकथन के अभाव में कि याचिकाकर्ता अभियुक्त कंपनी का निदेशक नहीं है और इस प्रकथन को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता

ने अभियुक्त कंपनी की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी किए गए समन में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता स्वतंत्र है कि वह विचारण के दौरान उचित चरण में साक्ष्य प्रस्तुत करके दिखाए कि वह अभियुक्त कंपनी के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है।

8. इन टिप्पणियों के साथ, याचिका को लंबित आवेदनों के साथ, यदि कोई हो, खारिज किया जाता है।

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद

06 अगस्त 2024
राहुल

(:)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*